अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

स्मार पत्र

संख्या विविध 80–14/2020 (भाग–4)..3965

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, पटना।

पटना, दिनांक– 8/10.25

विषय :– राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा क्रय किये गये ई.वी.एम. के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–3469 दिनांक–12.08.2025, पत्रांक–3575 दिनांक–29.08.2025, पत्रांक–3629 दिनांक–04.09.2025 एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक–2644 दिनांक–18.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 2644 दिनांक 18.07.2025 द्वारा ऋणस्वरूप प्रदान किये गये M2 EVM के विनष्टिकरण हेतु विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। आयोग के पत्रांक 3469 दिनांक–12.08.2025 एवं पत्रांक–3575 दिनांक–29.08.2025 के द्वारा ई.वी.एम सत्यापन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी/ई.वी.एम. के नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु जिला द्वारा किसी भी पदाधिकारी को ई.वी.एम. सत्यापन हेतु प्राधिकृत नहीं किया गया। आयोग के पत्रांक–3629 दिनांक–04.09.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा भी दूरभाष से आपसे वार्ता की गयी तथा ई.वी.एम. सत्यापन हेतु ई.वी.एम. के नोडल पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को प्राधिकृत करने हेतु निदेश दिया गया फिर भी श्री आशुतोष कुमार राय, ई.वी.एम. सत्यापन हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए, जिससे यह प्रतीत होता है कि पटना जिला प्रशासन ई.वी.एम. जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उदासीन है।

उक्त वर्णित स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को यह सूचित करने का निर्णय लिया जा सकता है कि उनके द्वारा निर्माण वर्ष 2011–12 से संबंधित मांगी गयी सूचना जिला के अवेदनशीलता के कारण प्रेषित करने में कठिनाई होने पर किसी प्रतिकूल स्थिति में जिला उत्तरदायी होगी।

अतएव अंतिम रूप से स्मारित करते हुए पुनः अनुरोध है कि जिला नोडल पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, साथ ही ई.वी.एम. सत्यापन से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के साथ ई.वी.एम. नोडल पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार राय या अन्य किसी वैसे पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय जिन्हे उक्त विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी हो उन्हें आयोग कार्यालय में **दिनांक–10.10.2025 तक** प्राधिकृत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

08/x/25

सचिव।

ज्ञापांक– विविध 80–14/2020 (भाग–4)..3965 पटना, दिनांक–8/10.25

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

08/x/25

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

E:\dhiru\Prem sir letter.2.docx

ज्ञापांक– विविध 80–14/2020 (भाग–4)....3965....   पटना, दिनांक–....8·10·25....
प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त पटना, प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

08.10.25

सचिव।

ज्ञापांक– विविध 80–14/2020 (भाग–4)....3965....   पटना, दिनांक–....8·10·25....
प्रतिलिपिः– श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2644 दिनांक–18.07.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

08.10.25

सचिव।

ज्ञापांक– विविध 80–14/2020 (भाग–4)....3965....   पटना, दिनांक–....8·10·25....
प्रतिलिपिः– सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.10.25

सचिव।